जिला–मधुबनी **दिनांक–12.05.2026**

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, झंझारपुर, मधुबनी
सत्र वाद संख्या : 33/2025
साधारण पंजी वाद संख्या–1005/2024
ललमनियॉ थाना कांड संख्या–43/2024

राज्य द्वारा समीना खातून पति मो0 मुस्तकीम साकिन–डुबरबोना, थाना–ललमनियॉ, जिला–मधुबनी।

..... अभियोजन।

बनाम

01. रमजानी उर्फ सिन्नुर पिता–अहमद मियां (उम्र लगभग–51 वर्ष),
02. मो0 हुसैन मिस्त्री उर्फ खुर्षीद मिस्त्री पिता–अहमद मियां (उम्र लगभग–49 वर्ष),
सभी साकिन– डुबरबोना, थाना–ललमनियॉ, जिला–मधुबनी।

..... अभियुक्तगण।

अपराध की तिथि:– 20.06.2024
प्राथमिकी की तिथि:–30.06.2024
आरोप पत्र की तिथि:–20.09.2024
संज्ञान की तिथि:–07.10.2024
दौरा सुपुदर्गी की तिथि:–18.02.2025
आरोप गठन की तिथि:–18.06.2025
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि:–03.07.2025
अभियोजन साक्ष्य बन्द– 18.04.2026
बयान अंतर्गत धारा 313 दप्रस– 18.04.2026
सफाई साक्ष्य– इंकार ;क्मबसपदमकद्ध
बहस पूर्ण– 07.05.2026
निर्णय की तिथि:–12.05.2026
सजा देने की तिथि, यदि कोई हो :–
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ईन्द्रकांत प्रसाद (सहायक लोक अभियोजक)
अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री बलराम यादव (अधिवक्तागण)

निर्णय तिथि–12.05.2026

उपस्थित : सुषील कुमार दीक्षित,
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी

नि र्ण य

01. प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 302, 504/34 के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया है, जिसे अभियुक्तों को हिन्दी में पढकर सुनाया व समझाया गया है, जिससे इंकार करते हुए अभियुक्तों ने वाद विचारण की मॉग की है।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार यह है कि प्रस्तुत वाद की सूचिका समीना खातून ने अपना फर्दबयान दिनांक 23.06.2024 को थाना फुलवारी षरीफ, पटना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष एम्स के कैम्प में दिया है जिसके अनुसार कहा जाता है कि दिनांक 20.06.2024 के करीब 19:30 बजे संध्या में उसके पड़ोसी लोग उसके घर के सामने अपनी चार

लगातार

पहिया सिटी राइड गाड़ी उसके घर के सामने लगा दिया और गंदी–गंदी बाते बोलने लगा तो उसने विरोध किया। इसपर मो0 आजाद, मकीना खातून, मो0 रमजानी उर्फ सिन्नुर, हुसैन मिस्त्री, तनवीर सभी लाठी–डंडा से मारपीट करने लगे। उस समय उसकी लड़की गुलापषा खातून घर के अंदर पढ़ रही थी, हल्ला सुनकर बीच बचाव के लिए दौड़कर आयी। उसी क्रम में मो0 आजाद अपने हाथ में लिया लाठी उसपर चला दिया तथा सभी लोग जान मारने की नियत से मारने लगे और वह गिरकर बेहोष हो गयी और लोगो को आता देख सभी भाग गये। इसके बाद वे लोग अपनी लड़की को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुटौना में भर्ती कराये। बेहतर ईलाज हेतु उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तबियत सुधार नही होने पर बेहतर ईलाज हेतु एम्स पटना के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहॉ ईलाज के दौरान दिनांक 23.06.2024 समय करीब 3 बजे पूर्वाह्न में ईलाज के क्रम में उसे मृत घोशित कर दिया गया।

03. सूचिका के उक्त फर्दबयान के आधार पर ललमनियॉ थाना कांड संख्या 43/2024 दिनांक 30.06.2024 अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा–302/34 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचनोंपरांत, विवेचक ने घटना को प्रथमदृष्टया सत्य पाते हुए उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया, तत्पष्चात् आरोपगठन के पष्चात् विचारण की कार्रवाई की गयी।

04. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द0प्र0स0 अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तों ने स्वंय को निर्दोश बताया है तथा अभियोजन कथानक जैसी घटना में स्वंय के षामिल होने से इंकार किये है। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में सफाई पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार के सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है। तत्पष्चात् उभय पक्षों द्वारा बहस पूर्ण किया गया।

05. अब इस वाद में विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सत्य साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है ?

<u>मंतव्य</u>

06. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत वाद में कुल 06 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिन्हें मुख्य परीक्षण के उपरान्त प्रतिपरीक्षित कर साक्ष्य भार से मुक्त किया गया है। उक्त अभियोजन साक्षी निम्न प्रकार हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या 01 :– समीना खातून (सूचिका)
अभियोजन साक्षी संख्या 02 :– खोजिदा खातून
अभियोजन साक्षी संख्या 03 :– मो0 समसुद्दीन उर्फ मो0 सुद्दीन
अभियोजन साक्षी संख्या 04 :– लजीना खातून
अभियोजन साक्षी संख्या 05 :– चिनमय कुमार (अनुसंधानक साक्षी) एवं
अभियोजन साक्षी संख्या 06 :– डॉ0 औरोप्रजना पाल (चिकित्सक साक्षी)

जहॉ तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का प्रष्न है, अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आरोप पत्र पर अनुसंधानक साक्षी संख्या–5 के हस्ताक्षर को प्रदर्ष–1 अंकित किया गया है। जख्म प्रतिवेदन पर चिकित्सक साक्षी संख्या–6 के हस्ताक्षर को प्रदर्ष–2 अंकित कराया गया। उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर किसी भी प्रकार का अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

07. बचाव पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया है।

<u>साक्षी संख्या–01</u>

08. अब मैं सर्वप्रथम प्रस्तुत वाद की सूचिका जो साक्षी संख्या–1 के रूप में प्रस्तुत हुयी हैं, के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूॅगा। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि यह घटना दिनांक 20.06.2024 को संध्या साढे सात बजे की है,

मेरे दरवाजा पर चार चक्का गाड़ी से मो0 रमजानी, आजाद, मदीना खातुन, तनबीर से आये और गाली गलौज करने लगे। वह और उसकी लडकी गुलापसा खातून घर से निकलकर देखी कि उनलोगों के हाथों मे लाठी था उसकी लडकी के सर पर चोट लगी थी, जिससे वह गिर गई। उसे खुटौना अस्पताल ले गये जहॉ से उसे डाक्टर से दरभंगा रेफर कर दिया, वहॉ से पटना रेफर कर दिया जहॉ ईलाज के क्रम में उसकी लड़की गुलापसा खातून की मृत्यु हो गई। इसी घटना को लेकर उसने पटना में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान दिया, जिस पर उसके अंगुठे का निषान है। समसुदीन भी उसके साथ ईलाज में गया था। फर्दबयान को उसे पढकर सुनाया गया जिसपर वह सही पाकर उसपर निषान दी। उस फर्दबयान पर उसके जेठ का लडका समसुदीन ने भी हस्ताक्षर किया था।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि जिस समय झगडा हुआ उस समय वहॉ बहुत भीड़भाड़ थी। उस भीड में किसके हाथ में कौन सा हथियार था यह वह नहीं देखी, वह जब घटनास्थल पर आई तो उसकी बेटी वहॉ गिरी थी, गुलापसा खातून को मारते हुऐ उसने किसी को नहीं देखी। घटनास्थल की चौहदी नहीं बता सकती है, पुलिस के समक्ष में बयान नहीं हुआ था, झगड़ा के समय में कौन किस गाडी से आये यह वह नहीं बता सकती है, जब वह घटनास्थल पर पहुॅची, उस समय इस केस के अभियुक्त को वह नहीं देखी।

साक्षी संख्या–02

09. अब मै अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी संख्या–2 खोजिदा खातून के साक्ष्य का विवेचन करना चाहूॅगा, उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–1 में कथन किया है कि समीना खातून को वह पहचानती है, उसका घर मेरे घर के बगल में है, गुलापसा खातून को भी पहचानती थी वह समीना खातून की बेटी थी। समीना खातून की बेटी पटना में अस्पताल में मर गई, वह क्यों और कैसे मरी वह नहीं देखी। उसके यहॉ पुलिस नहीं आई थी, पुलिस में वह बयान नहीं दी थी। लोग सब ऐसा बोल रहे थे कि गुलापसा खातून की हत्या मुदालहों द्वारा मारपीट करने से उसके सर में चोट लग जाने से हो गई थी।

प्रतिपरीक्षण में भी प्रस्तुत साक्षी ने बताया है कि मुदालहो को ग्रामीण की हैसियत से पहचानती है, घटना के दिन वह गॉव से बाहर थी, किस व्यक्ति से घटना के बारे में वह सुनी यह नही बता सकती है, गुलापसा खातून पटना क्यों गयी इसकी जानकारी उसे नही है, उसके साथ क्या घटना हुयी थी, इसकी जानकारी उसे नही है, इस घटना के संबंध में वह कुछ नही जानती।

साक्षी संख्या–05

10. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या–5 चिनमय कुमार अनुसंधानक प्रस्तुत हुये है, इन्होनें कथन किया है कि ललमनियॉ थाना कांड संख्या 43 / 24 के वह अनुसंधानकर्ता है। दिनांक 30.06.2024 को वह ललमनियॉ थाना में पदस्थापित थे, उसी दिन 15 बजे इस केस के अनुसंधान का भार ग्रहण किया था। तत्पष्चात इस केस की वादिनी का फर्दबयान कांड दैनिकी में अंकित किया। उसके बाद मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कांड दैनिकी में अंकित किया। उसके बाद घ ाटनास्थल पर 15:55 बजे पहुॅचें। उसके बाद 16 बजे वादिनी का पुनःबयान कांड दैनिकी में अंकित किया। साक्षी मो0 समसुदीन, खोजीदा खातुन, लजीना खातुन का बयान बारी बारी से लेकर कांड दैनिकी में अंकित किया। कांड दैनिकी के कंडिका–09 में घटनास्थल का विवरण एवं नजरी नक्षा अंकित किया। अभियुक्तों की गिरफतारी हेतु छापामारी किया। दिनांक 01.07.2024 को मो0 हुसैन मिस्त्री उर्फ खुर्षीद मिस्त्री को गिरफतार किया। अभियुक्त का सफाई बयान एवं जमा तलाषी लेकर उसे हाजत में बंद किया। दिनांक 02.07.2024 को अभियुक्त को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जहॉ से उसे जेल भेजा गया। दिनांक 07.07.2024 को मो0 रमजानी उर्फ सिनुर को गिरफतार किया तथा दिनांक 08.07.2024 को न्यायालय में अग्रसारित किया जहॉ से उसे जेल भेजा गया। दिनांक 16.07.2024 को रिपोर्ट 01 प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 06.08.2024 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से प्राप्त पर्यवेक्षण टिप्पणी कांड दैनिकी में अंकित किया। अभियुक्तों का अपराधिक ईतिहास कंडिका 76 एवं 77 में अंकित किया। अब तक के अनुसंधान, गवाहों का बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, वरीय पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण टिप्पणी से यह कांड धारा 341 , 323, 302 , 504 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी

अभियुक्त मो0 रमजानी उर्फ सिनुर तथा मो0 हुसैन मिस्त्री उर्फ खुर्षीद के विरूद्ध सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 50 / 2024, दिनांक 20.09.2024 समर्पित किया तथा प्राथमिकी के षेश अभियुक्त एवं अन्य बिन्दुओं पर पूरक अनुसंधान जारी रखा। अभियोजन की ओर से आरोप पत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्ष–1 अंकित किया गया।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि कांड दैनिकी की कंडिका 01 एवं 02 में उसके द्वारा नकल किया गया है। अनुसंधान भार ग्रहण करने के बाद प्रथम बार 15:55 बजे घटनास्थल पहुॅचा। घटनास्थल पर वादिनी एवं साक्षीयों द्वारा बताये अनुसार पहुॅचा। प्रथम बार जब घटनास्थल पर पहूॅचा तो वहॉ 17:55 बजे तक रूका। उस क्रम में घ ाटनास्थल पर उसके साथ सषस्त्र बल थे। पहली बार घटनास्थल पर जाकर वापस थाना 19:20 बजे वापस आया। बीच में छापामरी किया। इस क्रम में अभियुक्त के घर से किसी भी प्रकार का आपतिजनक सामान बरामद नहीं किया। दूसरी बार घटनास्थल पर जाने का मौका मिला। दुबारा वहॉ जाकर स्वतंत्र साक्षी का खोजबीन किया लेकिन कोई साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पहली बार जो घटनास्थल पर साक्षी का बयान लिया उसके बाद किसी साक्षी ने अनुसंधान के क्रम में गवाही नहीं दिया। उसके द्वारा घटनास्थल के अगल बगल के लोगों से पूछताछ किया गया। लेकिन किसी ने बयान नहीं दिया। अनुसंधान के क्रम में किसी भी साक्षी को अपने स्तर से गवाही हेतु नोटिस नहीं दिया था। पहली बार जब घटनास्थल पर गया तब साक्षी स्वंय घटनास्थल पर आ गये। वादिनी के बाद अन्य साक्षी भी आ गये। पूरे अनुसंधान में लगभग 80 दिन लगा। पूरे अनुसंधान के क्रम मे किसी भी प्रकार का आपतिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त को गिरफतार किया था। अभियुक्त का सफाई बयान कांड दैनिकी के कंडिका 24 में अंकित किया है। अभियुक्त उसके समक्ष दोश स्वीकार नहीं किया तथा कहा कि वह निर्दोश है। साक्षी द्वारा इस बात से इंकार किया गया उसके द्वारा त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र अभियुक्तों के विरूद्ध समर्पित किया गया है।

<u>साक्षी संख्या–06</u>

11. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से साक्षी संख्या 6 डॉ0 औरोप्रजना पाल चिकित्सक प्रस्तुत हुयी है, ने कथन किया है कि दिनांक 23.06.2024 को वह एम्स पटना में सीनियर रेसिडेंट के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन मृतिका गुलपसा खातून पे0 मुस्तकीम उम्र लगभग 18 वर्श सा0 डुबरबोरना थाना ललमनियॉ, जिला मधुबनी जिसे सिपाही संख्या 6818 राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा पहचान किया गया, का पोस्टमार्टम उसने किया था तथा उनके बदन पर निम्न ।दजमउवतजमउ पदरनतलरू.1ण्ूमससपदह वि प्रम 12 बउ ग 8 बउ चतमेमदज वअमत समजि जमउचतव चंतपमजंस तमहपवद वि बंसचण् व्द वचमदपदह े बंसच नदकमत े बंसच ीमउवजवउं वि प्रम 12 बउ ग 8 बउ बवततमेचवदकपदह जव ंइवअम उमदजपवद पदरनतलण् प्ज पे े पजनंजमक 2 बउ समजि जव उपक सपदम ंदक 5 बउ ंइवअम समजि उेंजवपकण् 2ण् स्पदमतं तिंबजनतम वि समदहजी 6 बउ चतमेमदज वइसपुनमसल वअमत जमउचव चंतपमजंस तमहपवदए े पजनंजमक 3 बउ समजि जव उपक सपदम ंदक 6 बउ ंइवअम समजि उेंजवपकण् 3ण् म्गजतं कनतंस ीमउवततींहम वि प्रम 12 बउ ग 8 बउ चतमेमदज वअमत समजि जमउचव चंतपमजंस तमहपवद वि इतंपदण् त्पहवत उवतजपेम चतमेमदज ंसस वअमत इवकलण् च्ड ीलचवेजेंपे चतमेमदज वअमत इंबा ंदक कमचमदकमदज ंतमें ंदक पे दवज पिगमकण् ठवजी ब्वतदमं जतंदेचंतमदज ंदक उवपेजण् थ्पदहमते वि दंपसे ंदक जवमे ब्लंदवेमकण् थ्बम बवदहमेजमकण् व्द क्पेमबजपवदरू. 1ण् ठतंपद बवदहमेजमकए सनदहे बवदहमेजमकए भ्मंतज ।सस बवतवदपतं ंतम चंजमदजण् त्पहीज बींउइमत बवदजंपदे इसववकण् ज्ममजी ंतम पदजंबज 14 ग 14 पद दनउइमतण् ैजवउंबी बवदजंपदे 15 उस तंकपी सिनपकण् स्मंअमत बवदहमेजमकए ज्ञपकदमले बवदहमेजमकण् ठसंककमत मउचजलण् ब्नेम वि कमंजीरू. प्दरनतपमे उमदजपवदमक ंतम ंदजमउवतजमउ पद दंजनतम ंदक बंनेमक इल ीइेध वितबमण् ब्नेम वि कमंजी पे कनम जव ीमंक पदरनतल ें तमेनसज वि इसनदज वितबम जतंनउं जव जीम ीमंकण् ज्पउम मसंचेमक े पदबम कमंजी पे 6 जव 12 ीते तिवउ जीम जपउम वि च्ड मगंउपदंजपवदण् जीपे पे ं गमतवग बवचल वि च्ड तमचवतजण् व्तपहपदंस बवचल वि च्ड तमचवतज पे ंजजंबीमक ूपजी ैज 162 वि 25 ंदक ूं उंतामक ें मैइपज. 02ण् ीम पकमदजपलि जीपे च्ड तमचवतजण् प्ज पे ेंउम ें वतपहपदंसण्

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि मृतिका के षव को षवगृह में प्राप्त करने के पष्चात् उसका वजन किया। उस समय उसके बदन पर कपड़े थे। उसके कपड़ों में खून नहीं लगा था। मृतिका के बदन के कपड़े का केमिकल जॉच की उसे आवष्यकता नहीं पड़ी। उस कपड़ा में खून का कोई अंष नहीं लगा था। जख्म की दिषा और गहराई नहीं अंकित की है,

लगातार

जख्म संख्या 01, 02 एवं 03 के कलर का विवरण उसने रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। हेमरेज ब्रेन के अंदर है जो इर्न्टनल इंजुरी है, हार्ड बलन्ट में किसी विषेश हथियार का उपयोग होना अंकित नहीं की है, हार्ड बलन्ट जैसा जख्म किसी ठोस सतह पर गिरने से भी हो सकता है। उसने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंजस्टेड का प्रकार नहीं लिखा है। मृत्यु के समय का निर्धारण अगर कलर वाला इंजुरी है तो कलर से भी किया जाता है। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राइगर मोरटिस अंकित किया है। उसे पोस्टमार्टम करने का अनुभव लगभग पॉच सालों का है। षव गृह से कार्यालय की दूरी पॉच सौ मीटर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट षवगृह में, वह खुद टाईप की थी। वहॉ एक ब्लैक बोर्ड रहता है उसी ब्लैक बोर्ड पर हमलोग पहले लिखते है। पोस्टमार्टम करने में लगभग एक घंटे का समय लगा था। वहॉ दोपहर साढे बारह बजे षव आया था। साक्षी द्वारा इस बात से इंकार किया गया कि उसके द्वारा मृतिका गूलफसा खातून का तैयार किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुभवहीनता से तैयार किया गया तथा त्रूटिपूण है।

प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–3 एवं 4 पक्षद्रोही साक्षी घोशित किये गये है, जिन्होनें अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष उक्त साक्षियों से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख में लाने में सफल नही हुआ है जिससे मामले की सत्यता और विष्वसनीयता प्रभावित होती हों।

12. इस प्रकार अभिलेख में उपलब्ध सभी साक्षियों के साक्ष्य की सम्यक् विवेचना से स्पश्ट होता है कि प्रस्तुत मामले में कुल छः साक्षियों का ही साक्ष्य अभियोजन की ओर से कराया गया है जिनमे से सूचिका, अनुसंधानक एवं चिकित्सक साक्षी भी प्रस्तुत हुये है। अनुसंधानक एवं चिकित्सक साक्षी औपचारिक साक्षी है तथा साक्षी संख्या–1 जो स्वयं इस केस की सूचिका है, ने अभियोजन की ओर से लाये गये वाद का समर्थन नही किया है। उसका साक्ष्य मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभाशी है तथा प्रतिपरीक्षण में बतायी है कि जिस समय झगडा हुआ उस समय वहॉ बहुत भीड़भाड़ थी, उस भीड में किसके हाथ में कौन सा हथियार था यह वह नहीं देखी, वह जब घटनास्थल पर आई तो उसकी बेटी वहॉ गिरी थी, गुलाफसा खातून को मारते हुऐ उसने किसी को नहीं देखी। घटनास्थल की चौहदी नहीं बता सकती है, पुलिस के समक्ष में बयान नहीं हुआ था, झगड़ा के समय में कौन किस गाडी से आये यह वह नहीं बता सकती है, जब वह घटनास्थल पर पहुॅची, उस समय इस केस के अभियुक्त को वह नहीं देखी। इस प्रकार स्वयं सूचिका का कथन ही मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण में परस्पर विरोधाभाशी है जिससे मामले की सत्यता और विष्वसनीयता प्रभावित होती है। साक्षी संख्या–2 भी अभियोजन की ओर से लाये गये वाद का समर्थन नही किया है, वह भी अपने प्रतिपरीक्षण में बतायी है कि मुदालहो को ग्रामीण के हैसियत से पहचानती है, घटना के दिन वह गॉव से बाहर थी, किस व्यक्ति से वह घटना के बारे में सुनी यह नही बता सकती, गुलफसा खातून पटना क्यों गयी इसकी जानकारी नही है, उसके साथ क्या घटना हुयी थी, इसकी जानकारी नही है, इस घटना के संबंध में वह कुछ नही जानती है। जहॉ तक साक्षी संख्या 5 एवं 6 का प्रष्न है उक्त साक्षी अनुसंधानक एवं चिकित्सक है जो औपचारिक साक्षीगण है। प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी संख्या–3 एवं 4 पक्षद्रोही घोशित किये गये है, जिन्होनें अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियोजन पक्ष उक्त साक्षियों से ऐसा कोई तथ्य अभिलेख में लाने में सफल नही हुआ है जिससे मामले की सत्यता और विष्वसनीयता प्रभावित होती हों। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पश्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन, अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। फलःस्वरूप प्रस्तुत प्रकरण के उपरोक्त नामित दोनो अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में निर्दोश पाकर दोशमुक्त करना उचित व न्यायसंगत समझता हूॅ।

<u>आ दे श</u>

अभियुक्तगण **01. रमजानी उर्फ सिन्नुर एवं 02. मो0 हुसैन मिस्त्री उर्फ खुर्षीद मिस्त्री** को धारा **323, 341, 302, 504/34 भा0द0वि0** के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है अभियुक्तगण काराधीन है अतः उपस्थापक अविलंब उनका मुक्ति आदेष निर्गत करें।

लगातार

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हिन्दी में पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(सुषील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
12.05.2026

लेखापित

(सुषील कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
झंझारपुर, मधुबनी
12.05.2026

लगातार